न्यायालय– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कन्नौज।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–261/2026

C.N.R.No.U.P.K.J.010005222026

1. अशोक कुमार पुत्र रामचरन

2. शिव शंकर पुत्र रामविलास

3. अन्नू पटेल पुत्र रामविलास

निवासीगण ग्राम महुआपुर थाना तिर्वा जिला कन्नौज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोजन पक्ष

सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण सं0 866/2025
अपराध सं0 36/2025
धारा–115(2),351(3),118(1) व 352 बी0एन0एस0
व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना तिर्वा व जिला कन्नौज।

जमानत आदेश

12.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अशोक कुमार, शिव शंकर व अन्नू पटेल की ओर से मु0अ0सं0 36/2025 धारा 115(2),351(3),118(1) व 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना तिर्वा व जिला कन्नौज के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। वादिनी को नोटिस तामील है। दिनांक 23.02.2026 को वादिनी पत्रावली पर उपस्थित आयी थी। आज वादिनी न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अशोक कुमार आदि की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह कथन किया कि वे निर्दोष हैं उन्हें गॉव की पार्टी बन्दी के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित कोई घटना कारित नहीं की है। उनका वादिनी के घर वालों से जमीनी विवाद चल रहा है। इसी रंजिश के कारण दिनांक 23.01.2025 को सुबह 08:00 बहजे अने साझीदार विजय कुमार को बुलाने उसके दरवाजे गया था। उसी समय वादिनी के ससुर विनोद कुमार व देवर अनूप ने उनको गाली–ग्लौज करके लात–घूसों व लाठी–डण्डों से मारा, जिससे उनके शरीर पर चोटे आयी, जिस सम्बन्ध में वादिनी पक्ष के लोगों के विरूद्ध उसी दिन मु0अ0सं0 35/2025 अंतर्गत धारा 115(2),351(2) व 352 बी0एन0एस0 में दर्ज करायी थी। उसी में दबाव बनाने के लिये यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए उचित जमानत व मुचलके पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. उपरोक्त के विरूद्ध विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

Digitally signed by POORNIMA PATHAK
Date: 2026.03.12 10:13:51 IST
Reason: Bail
Location: Spl Judge Sc/St Act Kannauj

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा अंशू दिवाकर पत्नी अखिलेश ने सम्बन्धित थाने में इस आशय की तहरीर दी कि, दिनांक 23.01.2025 को समय सुबह 08:00 बजे लगभग अपने घर के बाहर चबूतरे पर वह अपने जानवरों को पानी दे रही थी तभी उसके गॉव के ही अशोक पटेल, शिवशंकर पटेल, अन्नू पटेल आये और जमीनी विवाद को लेकर गाली–गलौज करने लगे। जब उसने उक्त लोगों को गालियॉ देने से मना किया तो उक्त लोगों ने उसे लात–घूसों व लाठी–डण्डों से बेरहमी से मारापीटा, जिससे उसके शरीर पर चोटे आयीं। उक्त लोग जाते समय जातिसूचक मॉ बहन की गालियॉ देकर बोले हरिजन तूने यदि उसके खिलाफ रिपोर्ट की तो जान से मार देगें। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

5. वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना तिर्वा जिला कन्नौज में मु0अ0सं0 36/2025 धारा 115(2),351(2),352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण अशोक पटेल, शिवशंकर पटेल व अन्नू पटेल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद विवेचना मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 118(1),115(2),351(2),352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6. उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा को गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए खतरनाक आयुधों से मारपीट कर चोटे पहुंचायी एवं यह जानते हुए कि वादिनी मुकदमा अनुसूचित जाति की महिला है उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित किया गया। पत्रावली में मजरूबा/ वादिनी की चिकित्सीय आख्या संलग्न है, जिसके अनुसार मजरूबा को दो चोटे पायी गयी है, जो साधारण प्रकृति की हैं। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है अन्य कोई साक्ष्य संकलन हेतु शेष नहीं है। प्रकरण सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है।

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **अशोक कुमार, शिव शंकर व अन्नू पटेल** की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 **पचास–पचास हजार रूपये** का **व्यक्तिगत बंधपत्र** व समान धनराशि की **एक–एक प्रतिभू** दाखिल करने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
कन्नौज।
J.O Code UP 1570